## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1176/2024

अनवान : –

1– रामस्वरूप पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी रातुसर तहसील नोहर ।

2– मुखराम पुत्र नत्थुराम जाति मेघवाल निवासी रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

**–– वादीगण**

**बनाम**

1– नत्थुराम पुत्र पेमा जाति मेघवाल निवासी रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

2– शिशपाल पुत्र पेमा जाति मेघवाल निवासी रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

3– नोपाराम पुत्र नत्थुराम जाति मेघवाल निवासी रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

4– जगदीश पुत्र नत्थुराम जाति मेघवाल निवासी रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

5– सुगना पुत्री पेमा जाति मेघवाल निवासी रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

6– कमा पुत्री पेमा जाति मेघवाल निवासी रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

7– रतनलाल पुत्री गीतु जाति मेघवाल निवासी रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

8– पुसाराम पुत्री गीतु जाति मेघवाल निवासी रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

9– सुभाष पुत्री गीतु जाति मेघवाल निवासी रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

10– पूर्णराम पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

11– सन्तोष पुत्री मनीराम जाति मेघवाल निवासी रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

12– विमला पुत्री मनीराम जाति मेघवाल निवासी रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

13– सुनील पुत्र गिरदावरी जाति मेघवाल निवासी रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

14– पुजा पुत्री गिरदावरी जाति मेघवाल निवासी रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

15– हरिश पुत्र कृष्णा जाति मेघवाल निवासी रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

16– ममता पुत्री कृष्णा जाति मेघवाल निवासी रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

17– मोनिका पुत्री कृष्णा जाति मेघवाल निवासी रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

18– सोनिका पुत्री कृष्णा जाति मेघवाल निवासी रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

19– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

**–– प्रतिवादीगण**

**दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955**

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

**निर्णय** दिनांक: 10/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा रातुसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 83/81 के खसरा नं. 16 की कुल तादादी 10.3600 है0 मुश्तरका भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि वादीगण की दादी मृतका माली पत्नी पेमा के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है व 1/4 हिस्सा भूमि मृतक नत्थुराम पुत्र पेमा के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। वादीगण की दादी माली पत्नी पेमा का स्वर्गवास हो चुका है जिसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:27:53 IST
Reason: SelfAttested



उपखण्ड अधिकारी नोहर

वारिस मनीराम, नत्थुराम, शिशपाल, सुगना, कमा, गीतू हुए जिसमें से मनीराम पुत्र पेमा का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 है एवं गिरदावरी पुत्री मनीराम का देहान्त हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 13 व 14 है एवं गीतू पुत्री पेमा का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 9 है है नत्थुराम पुत्र पेमा के तीन पुत्र भैंराराम, जगदीश व मुखराम व एक पुत्री कृष्णा हुए जिसमें से कृष्णा पुत्री नत्थुराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 15 ता 18 है जिनका उपरोक्त भूमि में हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज सदस्यों के समक्ष अपने पुत्रों के पक्ष में परित्याग कर चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 जो की वादीगण की बहिने है व प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 9 जो की वादीगण की बुआ के वारिस है उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है एवं अपना हक हिस्सा मामा/भाईयों के पक्ष में त्याग कर चुके है। प्रतिवादीगण संख्या 11 ता 18 ने उक्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा अपने भाईयो के पक्ष में त्याग कर चुके है। बाद हक त्याग रोही मौजा रातुसर तहसील नोहर के खाता स0 83/81 की कुल 10.3600 हैक्ट भूमि भूमि में मृतका माली पत्नी पेमा का नाम कलमजन किया जाकर 1/3 हिस्सा भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 10 बहिब काबिज है व 1/3 हिस्सा भूमि में वादी काबिज है व 1/3 हिस्सा भूमि में वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 बहिब काबिज है व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 बहिब काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 18 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 18 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 19 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी [illegible] पेमा, मृत्यु प्रमाण पत्र मनीराम, मृत्यु प्रमाण पत्र गीतू, मृत्यु प्रमाण पत्र कृष्णा, [illegible] गिरदावरी व शपथ पत्र बाबत सदस्य पेश किये जो की शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:27:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। वादीगण की दादी माली पत्नी पेमा का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस मनीराम, नत्थुराम, शिशपाल, सुगना, कमा, गीतू हुए जिसमें से मनीराम पुत्र पेमा का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 है एवं गिरदावरी पुत्री मनीराम का देहान्त हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 13 व 14 है एवं गीतू पुत्री पेमा का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 9 है है नत्थुराम पुत्र पेमा के तीन पुत्र भैंराराम, जगदीश व मुखराम व एक पुत्री कृष्णा हुए जिसमें से कृष्णा पुत्री नत्थुराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 15 ता 18 है जिनका उपरोक्त भूमि में हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज सदस्यों के समक्ष अपने पुत्रों के पक्ष में परित्याग कर चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 जो की वादीगण की बहिने है व प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 9 जो की वादीगण की बुआ के वारिस है उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है एवं अपना हक हिस्सा मामा/भाईयों के पक्ष में त्याग कर चुके है। प्रतिवादीगण संख्या 11 ता 18 ने उक्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा अपने भाईयो के पक्ष में त्याग कर चुके है। बाद हक त्याग रोही मौजा रातुसर तहसील नोहर के खाता स0 83/81 की कुल 10.3600 हैक्ट भूमि भूमि में मृतका माली पत्नी पेमा का नाम कलमजन किया जाकर 1/3 हिस्सा भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 10 बहिब काबिज है व 1/3 हिस्सा भूमि में वादी काबिज है व 1/3 हिस्सा भूमि में वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 बहिब काबिज है व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 बहिब काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रातुसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 83/81 के खसरा नं. 16 की कुल तादादी 10.3600 है0 मुश्तरका भूमि में से [illegible] भूमि वादीगण की दादी मृतका माली पत्नी पेमा के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड [illegible] मृतक नत्थुराम पुत्र पेमा के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादीगण का कथन है कि [illegible]क्त भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:27:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मंजात हक हिस्सा है। वादीगण की दादी माली पत्नी पेमा का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस मनीराम, नत्थुराम, शिशपाल, सुगना, कमा, गीतू हुए जिसमें से मनीराम पुत्र पेमा का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 है एवं गिरदावरी पुत्री मनीराम का देहान्त हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 13 व 14 है एवं गीतू पुत्री पेमा का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 9 है है नत्थुराम पुत्र पेमा के तीन पुत्र भैंराराम, जगदीश व मुखराम व एक पुत्री कृष्णा हुए जिसमें से कृष्णा पुत्री नत्थुराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 15 ता 18 है जिनका उपरोक्त भूमि में हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज सदस्यों के समक्ष अपने पुत्रों के पक्ष में परित्याग कर चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 जो की वादीगण की बहिने है व प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 9 जो की वादीगण की बुआ के वारिस है उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है एवं अपना हक हिस्सा मामा/भाईयों के पक्ष में त्याग कर चुके है। प्रतिवादीगण संख्या 11 ता 18 ने उक्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा अपने भाईयो के पक्ष में त्याग कर चुके है। बाद हक त्याग रोही मौजा रातुसर तहसील नोहर के खाता स0 83/81 की कुल 10.3600 हैक्ट भूमि भूमि में मृतका माली पत्नी पेमा का नाम कलमजन किया जाकर 1/3 हिस्सा भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 10 बहिब काबिज है व 1/3 हिस्सा भूमि में वादी काबिज है व 1/3 हिस्सा भूमि में वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 बहिब काबिज है व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 बहिब काबिज है, वादीगण के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार कार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 18 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत वारिसनामा एवं सजरा खानदान के अनुसार माली के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तोजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रातुसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 83/81 के खसरा नं. 16 की कुल तादादी 10.3600 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि में मृतका माली पत्नी पेमा का नाम कलमजन किया जाकर 1/3 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 10 को बहिब के खातेदार काश्तकार व 1/3 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को व व शेष 1/3 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 2 व प्रति[illegible] संख्या 3 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 [illegible] को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:27:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 10/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:27:53 IST
Reason: SelfAttested

## पर्चा डिक्री

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1176/2024

अनवान : –

1– रामस्वरूप पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी रातुसर तहसील नोहर ।

2– मुखराम पुत्र नत्थुराम जाति मेघवाल निवासी रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

—— **वादीगण**

**बनाम**

1– नत्थुराम पुत्र पेमा जाति मेघवाल निवासी रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

2– शिशपाल पुत्र पेमा जाति मेघवाल निवासी रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

3– नोपाराम पुत्र नत्थुराम जाति मेघवाल निवासी रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

4– जगदीश पुत्र नत्थुराम जाति मेघवाल निवासी रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

5– सुगना पुत्री पेमा जाति मेघवाल निवासी रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

6– कमा पुत्री पेमा जाति मेघवाल निवासी रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

7– रतनलाल पुत्री गीतु जाति मेघवाल निवासी रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

8– पुसाराम पुत्री गीतु जाति मेघवाल निवासी रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

9– सुभाष पुत्री गीतु जाति मेघवाल निवासी रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

10– पूर्णराम पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

11– सन्तोष पुत्री मनीराम जाति मेघवाल निवासी रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

12– विमला पुत्री मनीराम जाति मेघवाल निवासी रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

13– सुनील पुत्र गिरदावरी जाति मेघवाल निवासी रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

14– पुजा पुत्री गिरदावरी जाति मेघवाल निवासी रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

15– हरिश पुत्र कृष्णा जाति मेघवाल निवासी रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

16– ममता पुत्री कृष्णा जाति मेघवाल निवासी रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

17– मोनिका पुत्री कृष्णा जाति मेघवाल निवासी रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

18– सोनिका पुत्री कृष्णा जाति मेघवाल निवासी रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

19– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

—— **प्रतिवादीगण**

**वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**राजस्व वाद संख्या 1176 सन 2024 निर्णय दिनांक** 10/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रातुसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 83/81 के खसरा नं. 16 की कुल तादादी 10.3600 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि में मृतका माली पत्नी पेमा का नाम कलमजन किया जाकर 1/3 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 10 को बहिब के खातेदार काश्तकार व 1/3 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को व शेष 1/3 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 2 व प्रतिवादी वादी संख्या 3 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 1/4 हिस्सा भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3, 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में [illegible] दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दि[illegible] हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:27:53 IST
Reason: SelfAttested

**(पंकज गढ़वाल R.A.S)**
**उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)**
**एवं सहायक कलक्टर**
**नोहर**